केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

केमाशिबो/अध्यक्ष/2017

परिपत्र संख्या : अकादमिक/05./2017
दिनांक :31/01/2017

अधिसूचना

प्रति,
विद्यालय प्रमुख
(के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध समस्त विद्यालय)

विषय: शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा का पुनःस्थापन।

बोर्ड के शासी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, कक्षा दसवीं के लिए परीक्षा की दोहरी योजना, जोकि स्कीम–I और स्कीम–II के रूप में जानी जाती है, शैक्षणिक वर्ष 2017–18 और उसके उपरान्त कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए समाप्त हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2017–18 और उसके उपरान्त कक्षा दसवीं की परीक्षा का आयोजन नीचे दिये गये पुनःप्रतिरुपित मूल्यांकन संरचना के अनुसार होगा। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में कक्षा दसवीं की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मौजूदा मूल्यांकन स्कीम लागू रहेगी।

अ. शैक्षणिक सत्र 2017–18 से कक्षा दसवीं के लिए प्रभावी पुनःप्रतिरूपित मूल्यांकन संरचना :–

1. शैक्षिक क्षेत्र :

	कुल 100 अंक (मूल्यांकन के लिए पाठ्यक्रम केवल कक्षा–X का ही होगा)			
विषय	**80 अंक (बोर्ड परीक्षा)** प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों द्वारा 80 अंकों में से 33 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।	**20 अंक (आंतरिक आकलन)** प्रत्येक विषय हेतु नियत कुल 20 अंकों में से विद्यार्थी को 33 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।		
		आवधिक परीक्षा (10 अंक)	नोटबुक प्रस्तुतिकरण (5 अंक)	विषय संवर्धन गतिविधि (5 अंक)
		(i)	(ii)	(iii)
भाषा 1	बोर्ड प्रत्येक विषय में 80 अंकों के लिए कक्षा–X की परीक्षा आयोजित करेगा जिसमें कक्षा–X के लिए निर्धारित 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। प्रत्येक विषय में अंक व ग्रेड दोनो प्रदान किये जायेंगे। 9–सूत्रीय ग्रेडिंग बोर्ड द्वारा कक्षा– XII के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ग्रेडिंग प्रणाली के अनुरूप होगी।	आवधिक लिखित परीक्षा, एक शैक्षणिक वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए तीन तक सीमित होगी। सर्वोत्तम दो लिखित परीक्षाओं के औसत को अंतिम अंक प्रस्तुत करने हेतु लिया जाएगा।	इसके अंतर्गत निम्न की जांच की जायेगी– • नियमितता • सौंपे गये कार्य का निष्पादन • नोटबुक की स्वच्छता एवं रख–रखाव	वाचन एवं श्रवण का कौशल
भाषा 2				वाचन एवं श्रवण का कौशल
विज्ञान				प्रैक्टिकल (प्रयोगशाला कार्य)
गणित				गणित प्रयोगशाला प्रैक्टिकल
सामाजिक विज्ञान				मानचित्र और प्रोजेक्ट कार्य
6ठा अतिरिक्त विषय	6ठें **अतिरिक्त विषय** के लिए अध्ययन की योजना संलग्नक–I में दर्शायी गयी है। **नोट :** यदि विद्यार्थी 6ठें अतिरिक्त विषय के रूप में किसी भाषा का चयन करते हैं तो उसके मूल्यांकन हेतु भाषा–1 व भाषा–2 के लिए निर्धारित आकलन योजना का अनुपालन किया जायेगा।			

(i) आवधिक परीक्षा (10 अंक)

विद्यालय द्वारा पूरे शैक्षणिक सत्र में तीन आवधिक लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें से दो सर्वोत्तम परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत लिया जाएगा। विद्यालय को अपनी अनुसूची (शेड्यूल) बनाने की स्वायत्ता हैं। हालांकि, प्रवणता उत्तरोत्तर बढ़ाने के उद्देश्य से, तीनों लिखित परीक्षाओं का आयोजन मध्यावधि से पूर्व, मध्यावधि में तथा मध्यावधि के पश्चात् शनैः–शनैः बढ़ते हुए पाठ्यक्रम के साथ आयोजित की जा सकती है। पठन सामग्री का धीरे–धीरे बढ़ता भाग विद्यार्थियों को

31.1.2017

शत–प्रतिशत पाठ्यक्रम के साथ बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करेगा। विद्यालय द्वारा दो सर्वोत्तम लिखित परीक्षाओं के औसत को कुल अंक प्रस्तुत करने के लिए लिया जाएगा।

(ii) नोटबुक प्रस्तुतिकरण (5 अंक)

आंतरिक आकलन के अन्तर्गत नोटबुक प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य कक्षा में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए नोट तैयार करने के साथ–साथ शिक्षक द्वारा सौंपे गये कार्यों की ओर विद्यार्थियों की गंभीरता को बढ़ाना है। इससे नियमितता, समयनिष्ठा, स्वच्छता एवं नोटबुक का रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकेगा।

(iii) विषय संवर्धन गतिविधि (5 अंक)

ये विशिष्ट विषय में क्रियान्वित होने वाली वे गतिविधियाँ हैं जिनका प्रयोजन ज्ञान का संवर्धन तथा कौशल विकास है। ये गतिविधियाँ सम्बन्धित विषय शिक्षकों द्वारा आंतरिक तौर पर अभिलिखित किए जायेंगी।

भाषाओं के लिए : भाषाओं में विषय संवर्धन के लिए आयोजित गतिविधियों का प्रयोजन विद्यार्थियों के वाचन एवं श्रवण कौशल का विकास करना है।

विज्ञान के लिए : के.मा.शि.बो. द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित सूचीबद्ध प्रैक्टिकल गतिविधियाँ की जाएंगी।

गणित के लिए : के.मा.शि.बो./एन.सी.ई.आर.टी. के निर्धारित प्रकाशन में सूचीबद्ध प्रयोगशाला गतिविधियों और प्रोजेक्ट का अनुकरण किया जाए।

सामाजिक विज्ञान : के.मा.शि.बो. द्वारा पाठ्यक्रम में निर्धारित मानचित्र और प्रोजेक्ट कार्य किये जाएं।

2. सह–शैक्षिक गतिविधियाँ :

विद्यालयों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्येत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये गतिविधियां 5–सूत्रीय ग्रेडिंग (A से E) पैमाने पर श्रेणीबद्ध होंगे और इनके कोई वर्णनात्मक संकेतक (Discriptive Indicator) नहीं होगे। ग्रेडों को और उन्नत (up-scaling) नहीं किया जाएगा।

गतिविधि	स्कूल में 5–सूत्रीय पैमाने (A से E) पर श्रेणीबद्ध की जाएगी	क्षेत्र एवं उद्देश्य (आंतरिक आकलन के विषयों के लिए जैसे अध्ययन योजना में निर्धारित किया गया है)
कार्य शिक्षा अथवा पूर्व व्यवसायिक शिक्षा	सम्बन्धित शिक्षक द्वारा	"कार्य शिक्षा" विद्यार्थियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में सहभागिता हेतु एक पाठ्यक्रम है। इनसे विद्यार्थी को सामुदायिक सेवा का बोध होता है और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। [पूर्व व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्ययन योजना (Secondary Curriculum Vol.-I) के अनुसार]
कला शिक्षा	विजुअल आर्ट/ परफार्मिंग आर्ट अथवा सम्बन्धित शिक्षक द्वारा	विद्यार्थियों के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कला शिक्षा पाठ्येत्तर गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विद्यार्थी द्वारा विभिन्न रचनात्मक कलाओं में से एक या इससे अधिक का चयन किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (क्रीड़ा/मार्शल आर्ट्स/योग/एनसीसी इत्यादि)	शारीरिक शिक्षा शिक्षक द्वारा	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में मुख्यतः क्रीड़ा को एक नियमित कालांश (Period) दिया जाए। विद्यार्थियों को उनकी रूचि के क्षेत्र में व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध करावाये जाएं। विद्यार्थियों को शारीरिक स्वस्थता, अनुशासन, साहस, खेल भावना, देशभक्ति, आत्म बलिदान और स्वास्थ्य देखभाल का बोध कराते हुए पारंपरिक खेलों, योग एवं एनसीसी के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. अनुशासन (उपस्थिति, निष्ठा, व्यवहार, मूल्य) जीविका अर्जन हेतु सक्षम बनाने में अनुशासन का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और यह चरित्र निर्माण में भी सहायता करता है। निष्ठा, अच्छे व्यवहार तथा मूल्य का अनुगमन करने से एकता, व्यक्तिगत सामर्थ्य एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। इन सब के दृष्टिगत अनुशासन के आकलन के तत्व को जोड़ा गया है। विद्यार्थियों की तक 5–सूत्रीय ग्रेडिंग (A से E) के लिए कक्षा शिक्षक उत्तरदायी होगा।

31.1.2017

ब. प्रलेखन :–

स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित रिकार्ड को बोर्ड के द्वारा सत्यापन हेतु परीक्षाफल घोषणा की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि अदालत में विचाराधीन मामले अथवा सूचना का अधिकार/शिकायत में चिन्हित मामलों को तीन माह से अधिक सुरक्षित रखा जायेगा।

आंतरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत शामिल 20 अंक (10 + 5 + 5) का आंकलन निष्पक्षता और एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। शिक्षकों को इसका उपयोग समग्र मूल्यांकन के एक प्रभावी उपकरण के तौर पर करना चाहिए।

स. के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध स्कूलों में कक्षा–VI से IX के लिए आकलन योजना :–

कक्षा–VI से IX में एकरूपता के उद्देश्य के लिए के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध विद्यालय कक्षा–10 हेतु शैक्षिक सत्र 2017–18 के लिए प्रस्तावित आकलन प्रतिमान (जैसा ऊपर वर्णित है) का अनुसरण करें।

समस्त सम्बद्ध विद्यालयों द्वारा उपरोक्त योजना को अक्षरशः लागू किया जाए।

31.1.2017

(आर.के. चतुर्वेदी)
अध्यक्ष, केमाशिबो

प्रतिलिपि निम्नलिखित निदेशालय/केवीएस/एनवीएस/सीटीएसए के सम्बन्धित प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित स्कूलों में जानकारी का प्रसार करने हेतु :–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110 016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी–15, सैक्टर–62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा–201 309
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110 054
4. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सैक्टर–9, चंडीगढ़–160 017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737 101
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791 111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744 101
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., सीबीएसई सैल, वीआईपी रोड़, जंगली घाट पी.ओ.–744 103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9. सचिव, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110 085
10. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए–विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पी.ओ., नई दिल्ली–110 001
11. सचिव, आर्मी वालफेयर एजुकेशन सोसायटी, रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं0 22, शंकर विहार (निकट एपीएस), दिल्ली कैंट–110 010
12. अवर सचिव (एसई–III), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
13. अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
14. सचिव के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
15. परीक्षा नियन्त्रक के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
16. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
17. निदेशक (विशेष परीक्षा एवं सीटीईटी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
18. निदेशक (नेट) के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
19. कार्यकारी निदेशक (जेएबी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
20. जनसम्पर्क अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
21. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वें अपने–अपने क्षेत्रों में बोर्ड से सम्बद्ध समस्त स्कूलों के प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें।
22. समस्त अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
23. संयुक्त सचिव (समन्व्य) के निजी सहायक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
24. संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं विधि) के निजी सहायक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
25. अतिरिक्त निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
26. सहायक लाईब्रेरियन, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
27. आई.टी. प्रभार के अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वें इस परिपत्र को केमाशिबो की वेबसाईट पर डाल दें।

31.1.2017

अध्यक्ष, केमाशिबो

संलग्नक–I

अतिरिक्त विषय (छठवां विषय)

विषय	**कुल अंक 100 (पाठ्यक्रम का मूल्यांकन केवल कक्षा–X के लिए किया जाएगा)**	
	बोर्ड परीक्षा विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय में निर्धारित अंकों में से 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जिसमें केवल कक्षा 10 के विषय का 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम समाहित हो जाए।	**आंतरिक मूल्यांकन** विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में निर्धारित अंकों में से 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
भाषा	भाषा 1 व 2 के मामले में परिभाषित (निर्दिष्ठ) तौर–तरीकों का ही अनुपालन किया जाएगा।	
गृह विज्ञान	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 75 अंक	प्रायोगिक परीक्षा 25 अंक
एफआईटी/आईसीटी	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 40 अंक	प्रायोगिक परीक्षा 60 अंक
एलिमेन्ट ऑफ बिजनेस	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 100 अंक	लागू नहीं
एलिमेन्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंटेंसी	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 100 अंक	लागू नहीं
ई–पब्लिशिंग एंड ई–ऑफिस अंग्रेजी अथवा हिन्दी	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 30 अंक	प्रायोगिक परीक्षा 70 अंक
पेंटिंग	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 100 अंक	लागू नहीं
कर्नाटक संगीत	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 25 अंक	प्रायोगिक परीक्षा 75 अंक
हिन्दुस्तानी संगीत	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 25 अंक	प्रायोगिक परीक्षा 75 अंक
एनसीसी	बोर्ड कक्षा–X परीक्षा 70 अंक	वार्षिक प्रशिक्षण कैंप 30 अंक

नोट :

- 6ठें अतिरिक्त विषय के रूप में भाषा का चयन करने वाले विद्यार्थी भाषा–1 व भाषा–2 हेतु मुख्य परिपत्र में निर्दिष्ट तौर–तरीकों का अनुपालन करेंगे।
- हिन्दुस्तानी संगीत (75 अंक), कर्नाटक संगीत (75 अंक), गृह विज्ञान (25 अंक), वाणिज्य के अन्तर्गत ई–पब्लिशिंग एवं ई–ऑफिस ("अंग्रेजी अथवा हिन्दी" में से एक वैकल्प) (70 अंक), एफआईटी/आईसीटी (60 अंक) की प्रायोगिक परीक्षा स्कूल द्वारा आयोजित की जाएगी तथा इनके अंक बोर्ड को सूचित किये जाएंगे। उपलब्ध विकल्प एवं अंकों के विभक्तिकरण के सम्बन्ध में अधिक विवरण के लिए कृपया सम्बन्धित माध्यमिक पाठ्यक्रम दस्तावेज (Secondary Curriculum Vol.-I) 2017–18 का अवलोकन करें।

31.1.2017